# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

**प्रकरण संख्या – डिक्री 231 सन् 2018**
**पंजीयन दिनांक 14.09.2018**

घीसुलाल पिता चुन्नीलाल जाति महाजन निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. मीना पत्नि अशोक कुमार जाति महाजन–मृत
2. शीतल पुत्री अशोक कुमार जाति महाजन निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
3. आशा पत्नि विपुल जाति महाजन निवासी पानी की टंकी के पास प्रतापनगर चित्तौड़गढ़
4. किरण पिता अशोक कुमार जाति महाजन निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
5. विकास पिता अशोक कुमार जाति महाजन निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
6. सागरमल पिता सोहनलाल जाति महाजन निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
7. मूलीबाई पत्नि सोहनलाल जाति महाजन निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
8. सुरेश कुमार पिता सोहनलाल जाति महाजन जाति महाजन निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
9. सत्यप्रकाश पिता गोकुललाल जाति ब्राह्म्ण निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
10. मुकेश पिता गोविन्दलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
11. सुशीलाल पुत्री गोविन्दलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
12. गीतादेवी पत्नि गोविन्दलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
13. रमेश चन्द पिता वरदीचन्द जाति ब्राह्म्ण निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
14. नबूदेवी पत्नि सोहनलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
15. भूमिधारी तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
बमिसल क्रमांक 79/2011 प्राथमिक निर्णय एंव डिक्री दिनांक 09.09.2016

उपस्थित– 1. रमेश चन्द पालीवाल –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. संजय मौड – अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण सं. 1
3. विजय कुमार जैन–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6
4. पूरणमल स्वर्णकार –राजकीय अभिभाषक –रेस्पोडेन्ट सं. 15

**निर्णय** **दिनांक 31.03.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 वादीगण ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 8 से 15 के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 8 से 15 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात मौजा मंगलवाड तहसील डूंगला की खाता सं. 761 जमाबन्दी संवत् 2060–2063 मे आराजी नम्बर 11/2 ग के बजाय 3820/11 रकबा 1.73 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1/2 घ के बजाय 3821/11 रकबा 0.81 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.54 हैक्टेयर खाता सं. 762 जमाबन्दी संवत् 2060–2063 मे आराजी नम्बर 716/1 के बजाय 3822/716 रकबा 0.43 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। यह निवेदन किया कि आराजी नम्बर 3820/11, 3821/11 कुल रकबा 2.54 हैक्टेयर मे 1/2 हिस्सा अपीलान्ट प्रतिवादी व 1/2 हक व हिस्सा स्वर्गीय सोहनलाल के वारिस सजरे अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 का संयुक्त रूप से हक व हिस्सा है। इसी अनुसार आराजी नम्बर 3822/76 रकबा 0.43 हैक्टेयर मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 वादीगण एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण के मध्य विधि अनुसार कोई बंटवाडा नही हुआ है। रेस्पोडेन्ट वादीगण व रेस्पोडेन्ट 8 से 15 प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार नही रहना चाहते है। अपना हक व हिस्सा का बंटवाडा करा अलग–अलग दर्ज कराई जावे। वादपत्र मे यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के मन मे खोट आ गई है व सारी जमीन हडपना चाहता है। इसी गरज से जान–बुझकर उसके द्वारा एक खाते की आराजी का बंटवाडा का दावा पेश किया जिसके प्रकरण सं. 269/2010 रेवेन्यू वाद है जिसमे तारीख पेशी दिनांक 27.04.2011 अंकित की गई। उक्त वाद को इस वाद के साथ समेकित किया जावे ताकि पक्षकारो के बीच सही न्याय हो सके। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सागरमल ने आराजी नम्बर 3822/716 मे से हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 से 7 को विक्रय कर दिया व कुछ हिस्सा शेष है। दोनो खातो की आराजीयात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 के शामलाती है। रेस्पोडेन्ट वादीगण ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 8 से 14 प्रतिवादीगण को बंटवाडा करने हेतु कहा परन्तु अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट

सं. 8 से 14 बंटवाडा करने के लिये सहमत नही हुए जिससे यह बंटवाडे का वाादपत्र प्रस्तुत है।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 वादीगण की ओर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण व अपीलान्ट के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट प्रतिवादी अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे दिनांक 08.11.2011 को तामील की पालना मे उपस्थित नही हुआ। जिससे अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 08.11.2011 एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दिनांक 08.01.2014 को दो तरफा कार्यवाही का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 08.01.2014 को दो तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया व अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र प्रकरण सं. 269/2010 को इस वादपत्र के साथ समेकित किया गया। पत्पश्चात् अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से दिनांक 11.02.2015 को जवाब दावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट वादीगण ने दिनांक 20.02.2015 को काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दावा जवाबदावा व काउन्टर क्लेम के अनुसार तनकियात दिनांक 19.03.2015 को कायम की जाकर वादी की साक्ष्य ली जाकर दिनांक 14.08.2016 को प्रतिवादी की साक्ष्य प्रस्तुत नही होना मानते हुए साक्ष्य प्रतिवादी अपीलान्ट बन्द की जाकर पत्रावली मे दिनांक 07.09.2016 को बहस सुनी जाकर दिनांक 09.09.2016 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार डूंगला को फर्द बंटवाडा प्रस्तुत करने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए अपनी ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन किया किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 वादीगण ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 8 से 15 के विरूद्ध मौजा मंगलवाड की खाता सं. 761, 762 मे दर्ज आराजीयात के बंटवाडे हेतु प्रस्तुत किया कि विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 वादीगण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 8 से 14 के सहखातेदारी की है। उक्त आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 वादीगण का 1/2 हक व हिस्सा निहित है। शेष हक व हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 8 से 14 का निहित है जिससे मिन्ट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराया जावे। अधीनस्थ

विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया कि मौजा मंगलवाड की आराजी नम्बर 3822/716 रकबा 0.43 हैक्टेयर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के तन्हा कब्जे की होकर उक्त कृषि आराजीयात बंटवाडे से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के हक व हिस्से मे रखी जावे व शेष आराजीयात रेस्पोडेन्ट वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण के हक व हिस्से मे बंटवाडे से रखी जावे। आराजी नम्बर 3822/716 पर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 का विगत 35 वर्ष पूर्व बंटवाडा होकर अलग–अलग काबिज है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त आराजीयात को काबिल काश्त मनाया। जिससे नये सिरे से बंटवाडा कराये जाने का कोई औचित्य नही रहता है। जवाबदावा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम पर किसी प्रकार की साक्ष्य लिये बगैर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को प्रमाणित होना मानते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को निरस्त कर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई के अवसर दिये पूर्व मे हुए बहामी बंटवाडे के विपरीत नये सिरे से पक्षकारान के मध्य बंटवाडा किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस व मौखिक बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र बंटवाडे का था। जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। काउन्टर क्लेम के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की कोई साक्ष्य अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत नही की है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की उपस्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट ने जान बुझकर म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2016 के विरूद्ध दिनांक 07.09.2018 को अपील प्रस्तुत की है जो म्याद बाहर होने से धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। व यह निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर अधिवक्ता नियुक्त रहे है व उन्ही के द्वारा प्रकरण मे पैरवी की जाती रही है। जिससे अपीलान्ट को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य पत्रावली से सुसंगत होने से अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की लिखित व मौखिक बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने रेस्पोडेन्टगण 1 से 7 वादीगण ने बंटवाडे का वादपत्र अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। व यह तथ्य भी अंकित किया है कि विवादित कृषि आराजीयात पैतृक होकर सह खातेदारी की है जिसका विधि अनुसार बंटवाडा किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त वादपत्र का अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ है। उसके पश्चात् अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ के अभिवचन के अनुसार दिनांक 13.03.2015 को तनकियात कायम की गई। व उक्त तनकियात को साबित करवाये जाने हेतु साक्ष्य रेस्पोडेन्ट वादीगण ली गई। व अपीलान्ट प्रतिवादीगण की साक्ष्य नही होना मानते हुए साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर प्रकरण मे बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना किये बगैर व अपीलान्ट प्रतिवादी को साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर रेस्पोडेन्टगण 1 से 7 का वादपत्र प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया गया है जिसमे आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना होना नही पाये जाने से संहवनीय नही है। जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण संख्या 79/2011 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के अनुसार तनकियात कायम की जाकर प्रतिवादी सं. 1 अपीलान्ट को साक्ष्य व सबुत का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ